Baid Finserv Limited

Regd. Office: "Baid House", IInd Floor, 1-Tara Nagar, Ajmer Road, Jaipur-302006 Ph: 9214018855
E-mail: baidfinance@baidgroup.in Website: www.baidfinserv.com CIN: L65910RJ1991PLC006391

Ref. No.: BAIDFIN/2026-27/24
Date: July 09, 2026

To,

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400001(Maharashtra)
Scrip Code: 511724

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1 Block-G
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400051 (Maharashtra)
NSE Symbol: BAIDFIN

Sub: Newspaper notice for transfer of equity shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Dear Sir / Ma'am,

Pursuant to the provisions of Section 124 (5) and (6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time, dividend which has not been claimed for seven consecutive years or more along with corresponding equity shares shall be transferred to IEPF. Accordingly, the **final dividend declared during the Financial Year 2018-19**, which remained unclaimed for a period of seven years will become due to be transferred to IEPF on **November 05, 2026** along with corresponding shares**.**

In this regards, the company has published a notice in the following leading newspapers in English and regional language informing the concerned shareholders regarding the ensuing transfer of final dividend and corresponding equity shares to IEPF as per the relevant applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder on July 09, 2026.

1. Financial Express in English Language and
2. Nafa Nuksan in Hindi Language

Please find enclosed herewith the clipping of newspaper advertisement for your information and records.

This intimation shall also be available on the Company's website at www.baidfinserv.com

Thanking you,
Yours Sincerely,
FOR BAID FINSERV LIMITED

SURBHI
RAWAT

Digitally signed by SURBHI RAWAT
DN: c=IN, postalCode=302004, st=RAJASTHAN, street=D30 SHANTI PATHJAIPUR 302004, l=JAIPUR, o=Personal, title=7117, serialNumber=b56780b0f3619042f37ad7d470ac5592bee8a642ac73d369103dba1d310fc2b3, pseudonym=70fd1fc0c0836c7236561aecfc79c51b, 2.5.4.20=83a99f6a9bd599548187883001a1e4ae291392fcd3fff11395175cf48e238976, email=SURBHI1421@GMAIL.COM, cn=SURBHI RAWAT
Date: 2026.07.09 11:40:26 +05'30'

SURBHI RAWAT
COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
MEMBERSHIP NO:-A49694

Enclosed: A/a

ed

India.

dia.com;

ORMATION

April 2020 and circulars issued Corporate Affairs Annual General

Means ('OAVM') Act, 2013 ('the gulations, 2015 otice of AGM.

voting (i) will be strar and Share on the website of India Limited voting.nsdl.com. he financial year y/ Depositories/

he Notice of the -voting").

for shareholders ails will also be

n. on Thursday, ed form, as on t cast their vote

s PAN, address, not registered or other applicable ited (Unit: Value Nanakramguda, 001.

n/clientservices/

ster/update their ory Participants.

(i) to lodge any AGM including rough electronic

oard of Directors ications Limited Private Limited")

Sd/-

Kunal Kishore

naging Director)

---

sparc

SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH COMPANY LIMITED

CIN: L73100GJ2006PLC047837
Registered Office: Plot No. 5&6/1, Savli G.I.D.C. Estate, Savli – Vadodara Highway, Manjusar - 391775
District -Vadodara, Gujarat **Tel:** +91 02667 666800;
Corporate Office: 17/B, Mahal Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400 093, Maharashtra
Tel: +91 22 6645 5645 **Fax:** +91 22 6645 5685
Website: https://sparc.life **Email:** secretarial@sparcmail.com

NOTICE OF 21st ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that the Twenty- First (21st) Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on **Monday, August 10, 2026 at 04:30 P.M. IST ("AGM") through Video Conferencing ("VC")**, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with enabling circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs.

The Notice of 21st AGM along with the Annual Report for the financial year 2025-26 will be sent by electronic mode to all the members whose email addresses are registered with the Company's Registrar and Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited ("RTA")/ Depositories. Members holding shares in dematerialized form are requested to register their email address and mobile number with their Depository Participants, and members holding shares in physical form are requested to register details of their email address and mobile number on the website of the RTA at https://web.in.mpms.mufg.com and for any clarification you may contact our RTA at investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com. The Notice of 21st AGM along with the Annual Report for the financial year 2025-26 shall also be available on the website of the Company at https://sparc.life/ and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com, being the agency appointed by the Company for providing e-voting facility.

Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the business as set forth in the Notice of the 21st AGM through remote e-voting. The manner of remote e-voting for members holding shares in dematerialization form, physical form and members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The facility for e-voting will also be provided at the AGM, and members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting, will be able to vote at the meeting.

It is important to note that as per the SEBI circular dated June 10, 2024, members with securities held in physical form must update their KYC, including the PAN, Contact Details, Nomination, Bank Account Details, and Specimen Signature.

For Sun Pharma Advanced Research Company Limited
Kajal Damania
Company Secretary and Compliance Officer
ICSI Membership No. A29764

Place: Mumbai
Date: July 08, 2026

BAID FINSERV LIMITED

Regd. Office: "Baid House" IInd Floor, 1, Tara Nagar, Ajmer Road, Jaipur-06 • Ph.: 9214018855
E.: baidfinance@baidgroup.in • W.: www.baidfinserv.com • CIN: L65910RJ1991PLC006391

NOTICE (For the attention of equity shareholders of the Company)
Sub: Transfer of equity shares of the company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 (5) and 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules) and amendments made thereto from time to time, the unpaid or unclaimed dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years and the corresponding equity shares in respect of which such dividend has remained unclaimed for seven consecutive years or more are required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Accordingly, **the final dividend declared during the Financial Year 2018-19**, which remained unclaimed for a period of seven consecutive years or more along with corresponding shares will become due to be transferred to IEPF on **November 05, 2026.** Therefore, individual communications have been sent by the Company at the latest available addresses of the concerned shareholders, requesting them to claim dividend amount which remained unpaid/unclaimed for a period of seven consecutive years on or before **October 16, 2026.**

The details of such shareholders including their folio number or DP and Client ID and number of shares due for transfer are also available on the Investors section of the Company's website at https://www.baidfinserv.com/iepf-details/. The concerned shareholders are advised to make their claim for the unclaimed dividends in respect of the shares held by them by writing to the Company at cs@baidgroup.in or to the Company's Registrar to an Issue and Share Transfer Agent, MCS Share Transfer Agent Limited, 179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020, India, Phone No.: +91-11-41406149, Email: admin@mcsregistrars.com. In case shareholders wish to claim the shares/dividend after its transfer to IEPF, a separate application has to be made to the IEPF Authority, in form IEPF-5, as prescribed under IEPF Rules and the same is available along with all details at the IEPF website: www.iepf.gov.in.

In case the company does not receive any communication from concerned shareholders by **October 16, 2026,** Rules the Company shall transfer the corresponding equity shares to the Demat Account of the IEPF Authority by way of corporate action in accordance with the IEPF Rules.

For Baid Finserv Limited
Sd/-
Surbhi Rawat
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No:-A49694

Place : Jaipur
Date : July 08, 2026

60-day waiver on June 22, permitting the production, sale and transport of Iranian crude and petroleum products. The latest revocation has effectively closed that window. The renewed tensions have again put the Strait of Hormuz at the centre of global energy markets.

was turning favourable for buyers

About 20-25% of India's crude imports currently pass through the Hormuz, down from 60-70% before the conflict began on February 28, as refiners diversified supplies towards Russia, the US, Venezuela, West Africa and insurers and the wider energy ecosystem on edge, with renewed US-Iran hostilities and sanctions adding to uncertainty for the region and India.

"India will be deeply concerned if ship movement through the Strait of Hormuz is disrupted again. It would not only raise the import bill but also feed into household anxiety over the availability and price of cooking gas cylinders," he said.

Oil marketing company stocks fell on the BSE, with HPCL down 4.60%, IOC down 3.51% and BPCL down 3.20%.

TATA

TATA POWER

Corporate Contracts Department)
Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India
(Board Line: 022-67173188) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest from eligible parties for the following packages:

OUTLINE AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF T-SHIRTS (PAN INDIA) FOR ONE YEAR (Package Ref. No.: CC27SR017)

For package: Eligible parties willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee on or before **20th July 2026.**

For details of pre-qualification requirements, purchasing of tender document, bid security, tender documents etc., please visit Tender section of our website **(URL: https://www.tatapower.com/tender/tenders-listing)**.

Bombay Dyeing

THE BOMBAY DYEING AND MANUFACTURING COMPANY LIMITED

(CIN: L17120MH1879PLC000037)
Registered Office: Neville House, J. N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400001
E-mail: grievance_redressal_cell@bombaydyeing.com; Phone: (91) (22) 66620000
Website: www.bombaydyeing.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given to the Shareholders of The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited ("Company") that, pursuant to SEBI circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated 30th January, 2026, the Company has opened the special window for period of one year from 5th February, 2026 to 4th February, 2027, for transfer and dematerialisation (demat) of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019 and also for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise. All shares re-lodged during this period will be mandatorily credited to the transferee only in demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Eligible shareholders are requested to send their requests by mandatorily submitting the original share certificate along with the required documents to our Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("RTA") at their following address Unit: The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited, Selenium Building, Tower – B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana – 500032, India, Toll Free No.: 1800 3094001, Tel. No.: +91 40 6716 2222, Email Id: einward.ris@kfintech.com or at Company's registered office address as mentioned above.

For The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited

Sd/-
Sanjive Arora
Company Secretary
FCS: 3814

Place: Mumbai
Date: July 08, 2026

For Your Information

Share of Pure EVs in Total Vehicle Registrations (2026, So Far):

Odisha – 12.7%
Kerala – 12.3%
Karnataka – 10.9%
Delhi – 10.3%
Assam – 9.9%
Maharashtra – 9.4%
Madhya Pradesh – 9.3%
Tamil Nadu – 9.0%
Andhra Pradesh – 8.9%
Rajasthan – 8.1%
Chhattisgarh – 7.4%
Uttar Pradesh – 7.1%
Uttarakhand – 6.2%
West Bengal – 6.0%
Bihar – 5.7%
Punjab – 5.4%
Jammu & Kashmir – 5.2%
Gujarat – 5.1%
Telangana – 4.9%
Jharkhand – 4.0%
Haryana – 2.4%

(Vahan, SBI research)

Compiled by Nafanuksan Research

अमृत वचन

किसी के प्रति शिकायत हो, तब भी उससे रिश्ता मत तोड़िए। पता नहीं, खुदगर्ज दुनिया में कब किससे काम निकालना पड़ जाए। ध्यान रखें : गंदा पानी पीने के काम न आए तो क्या हुआ, आग बुझाने के काम तो आएगा ही।

- श्री चन्द्रप्रभ

Thoughts of the time

Hope is the best possession. None are completely wretched but those who are without hope and few are reduced so low as that

-William Hazlitt

The good thing about telling the truth is that you don't have to remember what you said.

- Suresh Rathi

राजस्थानी कहावत

घालै जकौ ई खावणौ, मेलै उठै ई जावणौ

डाले वही खाना, भेजें वही जाना

- घर के बड़े-बूढ़ों का आदेश परिवार के हर व्यक्ति को मानना चाहिए।
- एक की आज्ञा के बिना घर में अनुशासन नहीं रह सकता।

-स्व. विजय दान देथा
साभार : रूपायन संस्थान, बोरूंदा

जोधपुर में पहली बार होगा मारवाड़ ट्रेवल मार्ट का आयोजन

हेरिटेज, लग्जरी, रूरल व एडवेंचर टूरिज्म के साथ डेजर्ट एक्सपीरियंस को मिलेगा नया मार्केट

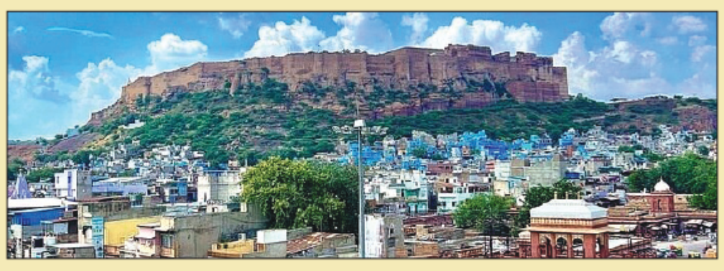

जोधपुर@नि.सं.। राज्य सरकार राज्य के टूरिज्म प्रचार-प्रसार को जयपुर तक सीमित रखने के बजाय अब क्षेत्रीय पर्यटन केंद्रों को भी नेशनल स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी रणनीति के तहत इस वर्ष पहली बार मारवाड़ ट्रेवल मार्ट (MTM) का आयोजन 20 से 22 सितंबर तक जोधपुर में किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़-थार क्षेत्र को देश-विदेश के टूरिज्म इंडस्ट्री के प्रमुख मानचित्र पर स्थापित करना है।

मारवाड़ ट्रेवल मार्ट के चेयरमैन व जोधाणा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स सोसायटी के अध्यक्ष जेएम बूब ने बताया कि आयोजन की तैयारियां टूरिज्म डिपार्टमेंट, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटेलिटी टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर), जोधाणा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स सोसायटी, ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ जोधपुर और हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन ने शुरू कर दी हैं।

मार्ट का आयोजन डालीबाई सर्किल स्थित अमृतम पैलेस में होगा, जबकि 20 सितंबर को ट्रेवल मार्ट का शुभारंभ उम्मेद पैलेस में होगा। अमृतम पैलेस में होटल, पर्यटन और हॉस्पिटेलिटी सेक्टर से जुड़े 150 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से मारवाड़ के टूरिज्म स्थलों और टूरिज्म प्रोडक्ट्स का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसमें देशभर के टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट, होटल व्यवसायी, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनियां, वेडिंग प्लानर, एयरलाइंस प्रतिनिधि और पर्यटन विशेषज्ञ भाग लेंगे। आयोजन के दौरान बी2बी बैठकों, नेटवर्किंग और नए व्यावसायिक समझौतों पर विशेष ध्यान रहेगा। सचिव राजेश सिंघवी के अनुसार मारवाड़ ट्रेवल मार्ट के माध्यम से जोधपुर के साथ-साथ जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ओसियां, खींवसर, जवाई और थार मरुस्थल जैसे पर्यटन स्थलों को भी व्यापक पहचान मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे हेरिटेज टूरिज्म, लग्जरी टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और डेजर्ट एक्सपीरियंस को नया मार्केट मिलेगा तथा स्थानीय होटल, हस्तशिल्प, परिवहन और अन्य टूरिज्म बेस्ड कारोबारों को भी लाभ होगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट का उद्देश्य राज्य के टूरिज्म डवलपमेंट को अधिक संतुलित बनाना है, ताकि जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर जैसे पारंपरिक गंतव्यों के साथ अन्य क्षेत्रों को भी समान अवसर मिल सकें। मारवाड़ ट्रेवल मार्ट इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

एफएचटीआर के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शाहपुरा ने बताया कि इसका उद्देश्य राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देना और अनछुए टूरिज्म स्थलों को खोलना है। हम इस कार्यक्रम में देश भर के प्रमुख टूर ऑपरेटरों और ट्रेवल एजेंटों को आमंत्रित कर रहे हैं।

भूखंड आवंटन एवं विकास कार्यों में रीको का बेहतरीन परफॉर्मेंस

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

जयपुर@का.सं.। प्रदेश की इकोनॉमी की स्पीड बढ़ाने एवं राज्य के इंडस्ट्रीयल डवपलमेंट को नई दिशा देने के लिए रीको लगातार सक्रिय प्रयास कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही (1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026) में 1038 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन (ऑफर लेटर सहित) किया गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में 214 भूखंड आवंटित किए गए थे जिससे स्पष्ट है कि रीको ने भूखंड आवंटन में पांच गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की है। रीको ने इस वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन माह में लगभग 1364 करोड़ रुपए की भूमि उद्यमियों को आवंटित की है, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 584 करोड़ रुपए थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप, रीको औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं उद्यमियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 899 कार्यादेश जारी किए गए, जिनकी कुल राशि 385 करोड़ रुपए है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 812 कार्यादेश जारी हुए थे, जिनकी राशि 221 करोड़ रुपए थी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराने में भी रीको ने उल्लेखनीय प्रगति की है। विभिन्न सरकारी विभागों से आवंटित कराई गई भूमि के भुगतान पर वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 146 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जबकि पिछले वर्ष यह राशि लगभग 64 करोड़ रुपए थी।। रीको के एमडी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि भूखंड आवंटन, विकास कार्यों तथा नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार में आई यह तेजी राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रीको की यह उपलब्धि दर्शाती है कि रीको प्रत्येक वर्ष नए मानक स्थापित करते हुए राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई गति और दिशा दे रहा है।

ब्रीफ न्यूज

राजस्थान होटलियर क्लब की बैठक आयोजित

उदयपुर@नि.सं.। राजस्थान होटलियर क्लब की मासिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें होटल इंडस्ट्री के समग्र विकास, सदस्य कल्याण, रोजगार सृजन तथा टूरिज्म को नई गति देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में एक निजी हॉस्पिटल द्वारा एसोसिएशन के सदस्यों एवं होटल स्टाफ के लिए विशेष डिस्काउंट मेडिकल कार्ड की पेशकश की गई। इस पहल से होटल कर्मचारियों और सदस्यों को रियायती दरों पर बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थय सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। बैठक में होटल उद्योग के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रस्तावित जॉब फेयर की रूपरेखा पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में रजनीकांत शर्मा, नरेन्द्र मेहता, सुरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष करण सिंह चंपावत, लाल सिंह झाला सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे।

ट्रेड फेयर सहायता के लिए व्यापार मेलों का चयन उद्योग करें, सरकार नहीं: लोहिया

जोधपुर@नि.सं.। जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने राजस्थान सरकार से ट्रेड फेयर सहायता योजना का दायरा बढ़ाने एवं इसे उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की मांग की है, ताकि अधिक से अधिक एमएसएमई उद्यमी नेशनल एवं इंटरनेशनल ट्रेड फेयरों में भाग लेकर नए मार्केट्स तक अपनी पहुंच बना सकें। जेआईए अध्यक्ष अनुराग लोहिया ने बताया कि नए बाजार विकसित करने, नए ग्राहकों तक पहुंच बनाने, उत्पादों की ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट बढ़ाने तथा व्यवसाय विस्तार के लिए नेशनल एवं इंटरनेशनल व्यापार मेले सबसे प्रभावी माध्यम हैं। राज्य सरकार की मंशा भी यही है कि अधिक से अधिक उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें नए डोमेस्टिक एवं ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सराहनीय होने के बावजूद वर्तमान ट्रेड फेयर सहायता योजना का लाभ बहुत कम उद्यमियों तक ही पहुंच पा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सरकार द्वारा अधिसूचित व्यापार मेलों की सूची सीमित है, जबकि विभिन्न उद्योगों के उद्यमी अपने उत्पादों एवं बाजार की आवश्यकता के अनुसार अनेक अन्य प्रतिष्ठित नेशनल एवं इंटरनेशनल ट्रेड फेयरों में भाग लेते हैं। इन मेलों पर सहायता उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिकांश उद्यमी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते है। लोहिया ने कहा कि ट्रेड फेयर सहायता के लिए व्यापार मेलों का चयन सरकार नहीं, बल्कि उद्योगों की आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए। प्रत्येक उद्योग की बाजार, उत्पाद एवं एक्सपोर्ट संबंधी आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। इसलिए उद्यमियों को उनके उत्पादों से संबंधित किसी भी मान्यता प्राप्त नेशनल अथवा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भाग लेने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि जेआईए ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि आईएचजीएफ दिल्ली फेयर, हैंडीक्राफ्ट एक्सपो-जोधपुर, हाई पॉइंट मार्केट (अमेरिका), लास वेगास मार्केट (अमेरिका), आईएमएम कोलोन (जर्मनी), शंघाई एवं ग्वांगझू फर्नीचर फेयर (चीन), इंडियावुड, दिल्लीवुड, लिग्ना (जर्मनी), इंटरनेशनल सर्फेक्टेंट एंड डिटर्जेंट एग्जीबिशन, इंटरनेशनल सोप एंड डिटर्जेंट एक्सपो, एचपीसीआई इंडिया, सीएमपीएल एक्सपो, आईसीआईएफ चाइना तथा सीटीईएफ चाइना जैसे प्रतिष्ठित ट्रेड फेयरों को अधिसूचित सूची में शामिल किया जाए। जेआईए सचिव सोनू भार्गव ने बताया कि एसोसिएशन ने यह भी सुझाव दिया है कि अधिसूचित व्यापार मेलों की सूची का समय-समय पर उद्योग संगठनों के परामर्श से पुनरीक्षण किया जाए। वित्तीय सहायता केवल इंटरनेशनल ही नहीं, बल्कि नेशनल व डोमेस्टिक ट्रेड फेयरों में भागीदारी पर भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि ट्रेड फेयर सहायता योजना को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक लचीला एवं व्यावहारिक बनाया जाता है, तो अधिकाधिक एमएसएमई उद्यमी इसका लाभ उठा सकेंगे और जोधपुर समेत प्रदेश के एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। नए निवेश एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा 'ब्रांड राजस्थान' को नेशनल एवं इंटरनेशनल स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

नेशनल • इंटरनेशनल

बंधुआ मजदूरी मामले में भारत का अमेरिका से 12.5 प्रतिशत शुल्क पर फिर से विचार करने का अनुरोध

नयी दिल्ली@एजेंसी। भारत ने बंधुआ मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाने में कथित तौर पर नाकाम रहने को लेकर 12.5 प्रतिशत शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर अमेरिका से फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। साथ ही, भारत ने किसी भी खास चिंता को दूर करने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसएसटीआर) के साथ बातचीत करने की इच्छा भी जताई है।

भारत ने कहा है कि यूएसटीआर ने भारत समेत किसी भी देश के लिए धारा 301 के उन खास पहलुओं की न तो पहचान की है और न ही उन पर चर्चा की है, जिन्हें सीधे तौर पर अनुचित गतिविधि, नीति या तौर-तरीका माना जा सके। बंधुआ मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहने से जुड़ी विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की गतिविधियों, नीतियों और तौर-तरीकों की धारा 301 जांच की रिपोर्ट के जवाब में भारत ने यह बात कही है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने 11 और 12 मार्च, 2026 को बंधुआ मजदूरी और जरूरत से अधिक औद्योगिक कैपेसिटी से जुड़ी चिंताओं को लेकर 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ धारा 301 के तहत दो अलग-अलग जांच शुरू की थीं। यूएसटीआर ने तीन जून को बंधुआ मजदूरी से जुड़ी जांच रिपोर्ट जारी की और 54 अर्थव्यवस्थाओं से होने वाले आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, मेक्सिको और पाकिस्तान से होने वाले आयात पर 10% शुल्क और भारत तथा चीन समेत 48 अन्य अर्थव्यवस्थाओं से होने वाले आयात पर 12.5% शुल्क लगाने की बात शामिल है। यह कदम अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है और इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को सौंपी गई रिपोर्ट में भारत ने कहा, ''किए गए दावों, पहचानी गई कमियों और पर्याप्त आधार न होने को देखते हुए भारत, अमेरिका से अनुरोध करता है कि वह शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर फिर से विचार करे। भारत किसी भी खास चिंता पर बातचीत और चर्चा के जरिये यूएसटीआर के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने को तैयार है।'' भारत ने कहा कि यूएसटीआर यह साबित करने के लिए जरूरी सबूत नहीं दे पाया है कि इन देशों में प्रतिबंध न होने से बाजार को कैसे प्रभावित कर रहा है और नियमों का पालन करने वाली कंपनियों के लाभ को कैसे नुकसान पहुंच रहा है। रिपोर्ट में कहा, ''भारत के अनुसार बिना किसी अन्य नियामकीय जरूरतों के केवल बंधुआ मजदूरी से जुड़े आयात पर प्रतिबंध न होना कानून की धारा 301 के तहत 'अनुचित' नहीं माना जा सकता।'' भारत ने कहा है कि यूएसटीआर ने जांच की गई 60 अर्थव्यवस्थाओं में कानून और तौर-तरीकों का अर्थव्यवस्था के आधार पर विश्लेषण नहीं किया है। इसके बजाय, उसने बिना यह देखे कि उन अर्थव्यवस्थाओं में कौन से खास उपाय लागू किए जा रहे हैं, यह व्यापक निष्कर्ष निकाल लिया है कि ऐसे सभी तरीके अपर्याप्त हैं, इस रिपोर्ट पर सात जुलाई को सार्वजनिक सुनवाई होगी।

एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटी 2035-36 तक बढ़ाकर 888 गीगावाट-घंटा करने की जरूरतः रिपोर्ट

नयी दिल्ली@एजेंसी। भारत को 2035-36 तक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ईएसएस) की कैपेसिटी बढ़ाकर 888 गीगावाट-घंटा (जीडब्ल्यूएच) करनी होगी, जो फिलहाल करीब एक जीडब्ल्यूएच है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस (आईईएसए) और कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस (सीईएस) की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एनर्जी स्टोरेज अब ग्रिड की विश्वसनीयता मजबूत करने और नवीकरणीय एनर्जी लक्ष्यों को हासिल करने का प्रमुख आधार बन चुका है। यह रिपोर्ट 'इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक (आईईएसडब्ल्यू) 2026' के दौरान जारी की गई। आईईएसए के अध्यक्ष देबमाल्य सेन ने कहा कि वित्त वर्ष 2035-36 तक 888 जीडब्ल्यूएच कैपेसिटी का लक्ष्य इस बात का संकेत है कि एनर्जी स्टोरेज देश की एनर्जी आकांक्षाओं के केंद्र में आ गया है। उन्होंने कहा कि आईईएसडब्ल्यू केवल उद्योग सम्मेलन न होकर भारत की स्वच्छ एनर्जी यात्रा की प्रगति का प्रतीक है। इस तीन-दिवसीय आयोजन में 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और 200 से अधिक प्रदर्शक एवं 10,000 से अधिक उद्योग विशेषज्ञ शिरकत कर रहे हैं।

'बैंक लापरवाही के आरोप पर वकील को 'सतर्कता सूची' में नहीं डाल सकते'

नयी दिल्ली@एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बैंक और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) केवल पेशेवर लापरवाही के आरोपों के आधार पर वकीलों को 'सतर्कता बरतने की सूची' में नहीं डाल सकते हैं। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि अधिवक्ताओं को काली सूची में डालना बार काउंसिल के वैधानिक अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप के समान है। पीठ ने कहा, कानूनी पेशे की स्वतंत्रता न्यायपालिका की स्वतंत्रता जितनी ही महत्वपूर्ण है। असल में, कार्यपालिका और विधायिका से इसकी स्वतंत्रता ही विधि का शासन और लोकतंत्र की आधारशिला है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी वकील पर पेशेवर लापरवाही या कदाचार का आरोप है, तो बैंक को संबंधित राज्य बार काउंसिल के समक्ष मामला रखना चाहिए, जो अधिवक्ता अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ ही पीठ ने कहा, ''केवल लापरवाही के आरोप के आधार पर किसी वकील का नाम सतर्कता सूची में डाल देना टिकाऊ नहीं है।... संबंधित बैंक एवं आईबीए को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता वकील का नाम तत्काल प्रभाव से इस सूची से हटाया जाए।'' उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा स्पष्ट करते हुए कहा कि रिट याचिका केवल 'राज्य' या उसके अंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि 'किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण' के खिलाफ दायर की जा सकती है। इस तरह शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया कि आईबीए के 'राज्य' नहीं होने के कारण उसके खिलाफ रिट याचिका स्वीकार्य नहीं है। पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह वरिष्ठ एवं कनिष्ठ वकीलों और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर वकीलों के लिए 'राष्ट्रीय विधिक अकादमी' स्थापित करने के विचार पर विचार करे। शीर्ष अदालत ने बीसीआई से अपनी अनुशासनात्मक व्यवस्था का व्यापक मूल्यांकन कराने और इस संबंध में उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा। अदालत ने यह भी कहा कि देश में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या न्याय व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है और इसे कम करने के लिए बार एवं बेंच दोनों की साझा जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। यह मामला केनरा बैंक द्वारा अधिवक्ता अजय विज को अपने पैनल से हटाने और उन्हें आईबीए की सतर्कता सूची में शामिल करने से जुड़ा है।

एफटीए से चमड़े के सामान, जूतों का निर्यात 2030 तक 14 अरब डॉलर तक पहुंचेगा : सीएलई

नयी दिल्ली@एजेंसी। चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) ने कहा है कि भारत द्वारा तय किए गए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) चमड़े के सामान और जूता-चप्पल के क्षेत्र के लिए बड़े मौके पैदा करेंगे, जिससे वर्ष 2030 तक निर्यात 14 अरब डॉलर तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। चमड़ा निर्यात परिषद के चेयरमैन रमेश कुमार जुनेजा ने कहा कि वह अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका समझौते के सफल होने से इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले खास तवज्जो मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जैसे क्षेत्रों के साथ एफटीए, उद्योग के लिए विकास का अगला चरण तय करेंगे। जुनेजा ने कहा, ''हमारे उद्योग का मकसद इन उभरते मौकों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना और वर्ष 2030 तक 14 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य तक पहुंचना है, जो 50 अरब डॉलर के कुल उद्योग कारोबार लक्ष्य का हिस्सा है।'' उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ओमान, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लीश्टेंस्टीन के साथ ईएफटीए के साथ व्यापार समझौते से घरेलू निर्यातकों को मदद मिली है। इस क्षेत्र ने यूएई, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रूस और जापान समेत कई खास बाजार में निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल बस्सी जिला जयपुर (राज0)

क्रमांक : न.पा.ब./2026–27/943 दिनांक : 06.07.2026

निविदा सूचना

कार्यालय नगर पालिका मण्डल बस्सी, जयपुर द्वारा निम्न कार्य कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन पोर्टल की एसपीपीपी व ई–प्रोक पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। जिसकी टेण्डर आईडी और एनआईबी संख्या DLB2627A3937 है।

Sr.no	UBIN No
1	(DLB2627WSOB09493)

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका,बस्सी

राज.संवाद/सी/26/6509

बैद फिनसर्व लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बैद हाउस, द्वितीय तल, 1-तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-06, फोन : 9214018855
E. : baidfinance@baidgroup.in • W. : www.baidfinserv.com • CIN: L65910RJ1991PLC006391

सूचना (कंपनी के इक्विटी अंशधारकों के ध्यानार्थ)
विषय: कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को हस्तांतरण

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 124(5) एवं 124(6) तथा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा-परीक्षा, अंतरण एवं धनवापसी) नियम, 2016 (नियम) एवं समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार, सात लगातार वर्षों तक अप्रदत्त अथवा दावा न किए गए लाभांश तथा ऐसे लाभांश से संबंधित इक्विटी शेयर, जिन पर सात लगातार वर्षों या उससे अधिक अवधि तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में स्थानांतरित किया जाना अनिवार्य है।

तदनुसार, **वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान घोषित अंतिम लाभांश,** जो सात लगातार वर्षों या उससे अधिक अवधि तक अप्रदत्त/अदावा रहा है, उससे संबंधित इक्विटी शेयरों सहित **05 नवंबर, 2026** को आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने हेतु देय हो जाएगा। अतः कंपनी द्वारा संबंधित शेयरधारकों के नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत सूचना प्रेषित कर उनसे अनुरोध किया गया है कि वे सात लगातार वर्षों से अप्राप्त/अदावा लाभांश की राशि का दावा **16 अक्टूबर, 2026** तक कर लें।

ऐसे शेयरधारकों का विवरण, जिसमें उनका फोलियो नंबर अथवा डीपी एवं क्लाइंट आईडी तथा आईईपीएफ में स्थानांतरण हेतु देय शेयरों की संख्या सम्मिलित है, कंपनी की वेबसाइट के इन्वेस्टर्स अनुभाग पर निम्न लिंक पर उपलब्ध है:https://www.baidfinserv.com/iepf-details/। संबंधित शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अप्राप्त/अदावा लाभांश का दावा करने हेतु कंपनी को cs@baidgroup.in पर अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, 179-180, डीएसआईडीसी शेड, तृतीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली–110020, भारत, फोनः +91-11-41406149, ई-मेलः admin@mcsregistrars.com पर लिखित रूप में संपर्क करें।यदि शेयरधारक आईईपीएफ में स्थानांतरण के पश्चात अपने शेयर/लाभांश का दावा करना चाहते हैं, तो उन्हें आईईपीएफ नियमों के अनुसार निर्धारित फॉर्म IEPF-5 में पृथक आवेदन आईईपीएफ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। संबंधित प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक जानकारी आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से **16 अक्टूबर, 2026** तक कोई सूचना अथवा दावा प्राप्त नहीं होता है, तो आईईपीएफ नियमों के अनुसार कंपनी संबंधित इक्विटी शेयरों को कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर देगी।

वास्ते- बैद फिनसर्व लिमिटेड
हस्ता./-
सुरभि रावत
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या A49694

स्थान : जयपुर
दिनांक : 8 जुलाई, 2026